संख्या- 9 /2018/44/आईडब्ल्यूएमपी /85-परती-2018-05(आई0डब्ल्0एम0पी)/2016

प्रेषक,

टी. वेंकटेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
अष्टम तल, एल्डिको कापरेट टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग **लखनऊ:: दिनांक:: 22 मार्च, 2018**

विषयः- समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)-वाटरशेड कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत सामान्य मद मे वित्तीय वर्ष 2017- 18 मे परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रू0 3363.00 लाख (रूपये तैतीस करोड़ तिरसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव (डब्लूएम), भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-के-11013/19/2013/आईडब्लूएमपी(यूपी)(एसए0न01/उत्तर प्रदेश/2017-18/(आईडब्लूएमपी), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के क्रम में आपके पत्रांक-823/एसएलडीसी-8(9)/2011टीसी/2017-18, दिनांक 09 मार्च, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-101-राष्टीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) (के.60/रा.40-के+रा.)-27-.सब्सिडी'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के उपर्ोक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत रू0 9712.48 लाख (रूपये सत्तनावे करोड बारह लाख अडतालीस हजार मात्र)) की बजट व्यवस्था की गयी है। उक्त धनराशि मे से राज्यांश के रूप मे **रू0 3363.00 लाख (रूपये तैतीस करोड़ तिरसठ लाख मात्र)** की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-.

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। योजना के समाप्त होने पर अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) विभाग योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर अपेक्षित कार्यवाही को स्पष्ट कर देंगे।

(3) उक्त धनराशि का उपयोग योजना की अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाईड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय.व्ययक के अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्षक ''2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-101-राष्टीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) (के.60/रा.40-के.+रा.)27-सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-137/दस-2018 दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

टी. वेंकटेश
प्रमुख सचिव।

संख्या- 9 /2018/44/आईडब्ब्लूएमपी /85-परती-2018-05(आई0डब्लू0एम0पी)/2016., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप सचिव(डब्लूएम), भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-के-11013/19/2013/आईडब्लूएमपी(यूपी)(एसन01/उत्तर प्रदेश/2017-18/ (आईडब्लूएमपी) दिनांक 23 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय आडिट प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- आहरण एवं वितरण अधिकारी, एस0एल0एन0ए0, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

5- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-1/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन ।

6- अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, 23, सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।

7- अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, 177-एच-2/193 पाण्डुनगर, कानपुर।

8- मुख्य वित्तीय सलाहकार, शारदा सहायक समादेश परियोजना, लखनऊ/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।

9- प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेवल डाटा सेन्टर आईडब्लूएमपी, अष्टम तल, एल्डिको, कोर्पोरेट टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र गौतम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in